# FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

श्रीमती सावत्री पुत्री स्व. गणपत जाति चमार निवासी डाबडवास तह0 मॉढण

बनाम

रगबीर पुत्र गणपत जाति चमार निवासी डाबडवास तह0 मॉढण

कैस मुकदमा प्रा0पत्र आ041 नि0 5 एवं व स0धा0151दी0प्र0सं0 मु0न0 351/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 04.09.2025 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया के वकील उपस्थित। प्रार्थीया वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में होना प्रतीत होती है।<br>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 745,784,785,786,787,1076/1230,727,1319/787 ,1334/1326,1325/1076,1333/1326 वाके ग्राम डाबडवास तहC मॉढण जिला कोटपूतली –बहरोड. (राजस्थान) में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 15.10.2025 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| प्रकरण के अभिलेखी बताया Note press चाहते। <br> अ० नि० <br> प्रेमलता <br> सावित्री <br> र-/जनम <br> Ident <br> (प्राणकृष्ण वैश्य) | 14-10-25 आज यह पत्रावली मूल अपील के साथ पेश हुई। पत्रावली मूल अपील का नोट प्रेस से खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थनापत्र ओडमीएसज पर डॉप कर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर अभिलेखागार में दाखिल हो। संलग्न मूल अपील (अपील) रहे। <br> [signature] <br> उपखण्ड अधिकारी <br> शामली (कोतवाली-[illegible]) |